कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला – दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0)

क्रमांक /6610 / मु.चि.अ. / एन.एच.एम / भर्ती / 2026 दन्तेवाड़ा / दिनांक 02./11./2026

—:: विज्ञापन ::—

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026 – 2027 हेतु जिले की आर.ओ.पी में स्वीकृत तथा रिक्त पदों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के मानव संसाधन नीति 2018 में दिये गये निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन / जिला स्वास्थ्य समिति, जिला– दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा (छ0ग0) के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती किये जाने हेतु विज्ञापन की सूचना प्रकाशित किया जा रहा है। इच्छुक एवं निर्धारित योग्यता रखने वाले पात्र उम्मीदवार दिनांक 02./11./2026 से 16./11./2026 तक कार्यालयीन समय सायं 5.30 बजे तक जिला दंतेवाड़ा की शासकीय वेबसाईट www.dantewada.gov.in के पोर्टल में केवल लिंक https://script.google.com/macros/s/AKfycbwR9GqZAvnvEtQF-2qyASzeWiOgOcY5q4QCvxf1qyj9ivJM7VQnH3tZcV81ovk-zh93Dw/exec के माध्यम से आवेदन कर सकते है। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर डाक, साधारण पोस्ट या अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नही किया जावेगा तथा निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को भी स्वीकार नहीं किया जायेगा। रिक्त पदों का वर्गवार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	एकमुश्त वेतनमान	श्रेणीवार रिक्त पद						दिव्यांग जन हेतु आरक्षित पद	शैक्षणिक योग्यता
				ST		SC	OBC		UR		
				open	F		open	F			
01	Community Health Officer	06	16500/-	03	0	0	03	0	0	0	B.Sc. Nursing certificate in Community Health Integrated Course OR Post Basic Nursing Certificate in Community Health Integrated Course & Live Registrastion in Chhattisgarh Nursing Registration Council
Total-		06		03	0	0	03	0	0	0	

आवेदन संबंधी दिशा निर्देश, नियम एवं शर्तें :–

1. यह पद पूर्णतः संविदा आधारित है, भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा जारी **मानव संसाधन नीति 2018** के नियमों के अनुरूप किया जावेगा।
2. आवेदक को छ0ग0 राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को संबंधित जिले का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से तथा प्रमाण पत्र, विज्ञापन आवेदन के अंतिम दिवस / पूर्व को धारित होना अनिवार्य होगा।
4. समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं आवेदन भरने के तिथि के पूर्व का होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत कर दिया जावेगा। इस संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में बाद की तिथि का प्रमाण पत्र / दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जावेगा। अतः अर्हता सिद्ध करने वाले समस्त वांछित दस्तावेजों तथा प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
5. आवेदक को अपने मूल आवेदन के साथ समस्त वांछनीय दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित कर अतिरिक्त दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। दावा–आपत्ति प्रस्तुतीकरण के समय प्रस्तुत किये जाने वाले नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जावेगा। केवल लिपिकीय त्रुटि को मान्य करते हुए निराकरण किया जावेगा।

6. ऐसे अभ्यर्थी जिनका अंकसूची ग्रेडिंग पद्धति का है, को ग्रेडिंग गणना पद्धति द्वारा प्रतिशत का उल्लेख करना अनिवार्य है तथा इस संबंध में संबंधित शैक्षणिक संस्था/स्कूल से संस्था प्रमुख द्वारा जारी गणना पत्रक/चार्ट की सत्यापित/प्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
7. **सत्यापन के समय आवेदन के साथ संलग्न समस्त आवश्यक दस्तावेज तथा प्रमाण पत्र एवं फोटो स्व प्रमाणित/स्व हस्ताक्षरित/Self Attested करना अनिवार्य है।**
8. आवेदक विज्ञापन शासकीय वेबसाईट www.dantewada.gov.in में अवलोकन कर सकते हैं।
9. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटि पूर्ण आवेदन पत्र के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नही दी जावेगी। प्रत्येक आवेदकों को चाहिए की विज्ञापन में दिये गये दिशा निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर एवं सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो अपूर्णता/त्रुटि के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा भर्ती प्रकिया में शामिल नही किया जावेगा। जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
10. **आयु सीमा** दिनांक 01.01.2026 के स्थिति में न्युनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद पर होनी चाहिए। शासन द्वारा समय – समय पर आयु सीमा में दी गई छुट का प्रवाधान होगा।
11. विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक एवं वांछित अर्हताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जावेंगें। उक्त अर्हता नहीं पाये जाने पर आवेदन निरस्त/अपात्र कर दिया जावेगा। उपरोक्त पदों पर आवेदन के साथ क्रमवार वांछित योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा तथा दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार/कौशल परीक्षा के समय अभिलेखों की मूल प्रति के साथ अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
12. जन्म तिथि के प्रमाण पत्र हेतु 10वीं की अंकसूची/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
13. संबंधित डिप्लोमा/डिग्री।
14. संबंधित छ.ग. राज्य कौंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो)
15. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो)
16. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार निर्धारित शुल्क डी.डी. के माध्यम से जिला स्वास्थ्य समिति दन्तेवाड़ा के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा।

वर्ग	मानदेय प्रतिमाह 25000 या 25000 से कम वाले पद हेतु	मानदेय प्रतिमाह 25000 से अधिक वाले पद हेतु
दिव्यांग/अ.जा./अ.ज.जा./महिला	100.00	200.00
अन्य पिछड़ा वर्ग	200.00	300.00
अनारक्षित वर्ग	300.00	400.00

17. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र केवल भारत सरकार, छ.ग. शासन/यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई./संबंधित काउंसिल/बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा ही मान्य होगा।
उपरोक्त विज्ञापित पदों हेतु अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय/अर्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं का ही मान्य होगा। अनुभव आवेदित पद के अनुसार संबंधित क्षेत्र/समान कार्य प्रकृति का होना अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार का ओवरराईटिंग/त्रुटिपूर्ण या अस्पष्ट होने की स्थिति में अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस पर किसी भी प्रकार का दावा अमान्य कर दिया जावेगा। (पद से संबंधित कार्यानुभव पर प्रति वर्ष 2 अंक व अधिकतम 10 अंक एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को प्रति वर्ष 3 अंक व अधिकतम 15 अंक प्रदान किया जावेगा तथा 01 प्रतिपूर्ण वर्ष 365 दिवस के ही गणना की जावेगी।)
18. अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने तथा कार्यालयीन जावक क्रमांक नहीं होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जावेगा तथा शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने के उपरांत प्राप्त अनुभव के आधार पर अनुभव के अंक मान्य की जावेगी। **अनुभव में अंको की गणना 12 माह पूर्ण होने पर ही एक वर्ष अनुभव की गणना किया जावेगा। 12 माह से कम अनुभव होने पर अंको की गणना नहीं की जावेगी। प्रशिक्षण एवं स्वेच्छा से/निःशुल्क कार्य का अनुभव मान्य नहीं किया जावेगा।**

19. **आवेदक को अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियोक्ता द्वारा जारी नियुक्ती आदेश पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, नियुक्ति आदेश नहीं होने की स्थिति में अनुभव के अंक प्रदान नहीं किये जावेंगा।**
20. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिसका जारी दिनांक से 06 माह से पूर्व का ना हो।
21. विज्ञापन में निर्धारित उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के उपरांत किए गये कार्य अवधि के अनुभव की गणना की जावेगी।
22. आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
23. अभ्यार्थी को आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो राजपत्रित अधिकारी/स्वयं के द्वारा सत्यापित कर चिपकाना होगा।
24. उपरोक्त पद पर आवेदन के साथ वांछित योग्यता प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से शैक्षणिक योग्यता, अनुभवन संबंधित प्रमाण पत्र, जाति, निवास प्रमाण पत्र एवं पंजीयन प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजों की छाया प्रति अनिवार्यतः सत्यापित कर संलग्न करें। संलग्न नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त करने का अधिकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को होगा।
25. विज्ञापन में तथ्यात्मक/लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर पर सुधारी जा सकती है। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रकिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
26. आवेदक आवेदन के साथ समस्त वांछित संलग्न समस्त दस्तावेजों व प्रमाण पत्रों की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन हेतु अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा अपात्र किया जावेगा।
27. अभ्यर्थी को उपस्थित होने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
28. **अंतिम चयन सूची :–**

16.1 निम्नानुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जावेगी।

शैक्षणिक योग्यता का – 65 प्रतिशत अंक,
अनुभव अंक – 10/15 अंक
(एन.एच.एम में कार्यरत अभ्यर्थियों को अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 अंक)
लिखित/कौशल/साक्षात्कार परीक्षा – 20 अंक

16.2 प्रतीक्षा चयन सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के 25 पदों तक 200 प्रतिशत, 25 से 50 तक पदों के हेतु 150 प्रशित एवं 50 से अधिक पदों हेतु 100 प्रतिशत अभ्यर्थीयों को प्रतिक्षा सूची में रखा जावेगा, ताकि भविष्य में रिक्त होनें वाले पद तत्काल भरे जा सकें।

16.3 अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु निर्धारित कुल अंकों का 30 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। 30 प्रतिशत अंक अर्जित नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी को अपात्र माना जावेगा।

परीक्षा हेतु निम्नानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

(अ) कौशल परीक्षा हेतु–
शैक्षणिक योग्यता+अनुभव के अंक

(ब) अंतिम चयन सूची निम्नानुसार तैयार की जावेगी–
शैक्षणिक योग्यता+अनुभव के अंक+कौशल परीक्षा के अंक

29. पात्र/अपात्र व मेरिट सूची एवं चयन प्रक्रिया के पश्चात् परिणाम कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा के सूचना पटल पर चस्पा किया जावेगा अथवा www.dantewada.gov.in पर आवेदक स्वयं जानकारी प्राप्त कर सकते है, जिसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। इसके पश्चात् कार्यालय द्वारा आवेदक को किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलने का दावा अमान्य होगा।
30. प्राप्त आवेदनों में से रिक्तयों के आधार पर निम्न तालिका में दिये अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन/परीक्षा/चयन तथा साक्षात्कार हेतु आहुत किया जावेगा–

क्र.	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	स्क्रीनिंग/साक्षात्कार लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना
2	10 से 50	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 5 गुना
3	50 से अधिक	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 3 गुना

31. प्रतीक्षा सूची वैधता 01 वर्ष या अगली नवीन भर्ती विज्ञापन जारी होनें तक वैध रहेगी
32. सभी नियुक्तियां संविदा आधार पर पूर्णतः अस्थाई व अस्थानांतरणीय होगी।
33. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत् कर्मचारियों को उन संस्थाओं के नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन विचारणीय नही होगा।
34. अधिसूचित रिक्तयों में घटाया बढ़ाया/परिवर्तन किया जा सकता है या निरस्त भी किया जा सकता है। इस पर किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
35. निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदंड़ को पूरा करना अनिवार्य होगा एवं अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने मात्र से ही चयन का दावा नहीं कर सकते।
36. उक्त नियुक्तियां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा गठित समिति के माध्यम से किया जावेगा।
37. **अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में किए गए समस्त प्रविष्टियां मूल दस्तावेज अनुसार सही होना चाहिए। अंतिम चयन के पूर्व या पश्चात दस्तावेज जांच में पाया जाता है कि आवेदन में अंकित जानकारी त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण है तो उन्हें आगामी अंतिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। चयन के पूर्व/पश्चात भी जानकारी अथवा दस्तावेज त्रुटिपूर्ण/फर्जी पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी का चयन निरस्त किया जावेगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी का होगा।**
38. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जावेगी। जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी(उम्र में बड़े होंगे) उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। यदि जन्म तिथि भी समान हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम नामाक्षर के आधार पर वरीयता तय की जावेगी।
39. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय आवेदन के साथ संलग्न समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
40. भर्ती प्रक्रिया में टंकण/लिपिकीय त्रुटि को सुधारा जा सकता है।
41. चयन के उपरांत किसी आवेदक के द्वारा प्रस्तुत कोई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो की गई नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जावेगी साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
42. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात एक माह पूर्व सूचना देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार उक्त अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व एक माह पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा किया जाएगा।
43. नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
44. भर्ती प्रकिया के दौरान होने वाली किसी भी विवाद पर अंतिम निर्णय लेने का सर्व अधिकार गठित चयन समिति/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का होगा।
45. आवेदक द्वारा नियुक्ति हेतु किसी प्रकार की सिफारीश या राजनितिक दबाव आदि अनैतिक हथकंडे दबाव बनाने पर आवेदक के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही कर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जावेगा।
46. भर्ती प्रक्रिया में आवेदकों को उनके योग्यता एवं भर्ती मापदंड के आधार पर पात्र/अपात्र करने का अधिकार चयन समिति को होगा।
47. भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत निर्धारित तिथि/समय पश्चात् उपस्थित आवेदकों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
48. अपराधिक प्रवित्ति एवं कदाचरण व अन्य अनैतिक कार्य में लिप्त पाये गये आवेदक द्वारा आवेदन करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा।
49. आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नही होगा। अंतिम रूप से नियुक्ति रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया/मापदण्ड पर निर्भर करेगी।
50. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
51. **ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा सेवा समाप्त की गई है चाहे वे किसी भी पद पर रहें हों उन्हें अपात्र उम्मीदवार की श्रेणी में रखा जावेगा।**
52. भर्ती प्रक्रिया की समस्त सूचना कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) के सूचना पटल पर एवं जिले की वेबसाईट www.dantewada.gov.in में प्रकाशित किया जावेगा, जिसके

अवलोकन करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। इसके अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से कोई सूचना नहीं दी जोवगी।

53. विज्ञापित पदों पर भर्ती प्रकिया माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी(सी)कमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
AJAY RAMTEKE
Date: 02-11-2026
15:57:53

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0)